	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 29, मंगलवार, शाके 1939–मार्च 20, 2018 *Phalguna 29, Tuesday, Saka 1939-March 20, 2018*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2018

संख्या प. 2 (13) विधि/2/2018 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 2018 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 2018 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2018 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4 और 6 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, -

(i) विद्यमान खण्ड (viii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(viii-क) "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;";

(ii) विद्यमान खण्ड (x-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है, जिसमें सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा राज्य में स्थित अपनी किसी भी भूमि या सम्पत्ति के संबंध में ऐसी भूमि या सम्पत्ति का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई अधिकार प्रदान किया जाना अंतर्वलित हो;";

(iii) खण्ड (xi) के विद्यमान उपखण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234 के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,"; और

(iv) खण्ड (xxi) का विद्यमान उप-खण्ड (ग) हटाया जायेगा।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में एक रुपये की कोई भी भिन्न, जो पचास पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले एक रुपये में किया जायेगा और पचास पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 10-क का अन्तः स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 के पश्चात और विद्यमान धारा 11 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"10-क. कतिपय विभागों, संगठनों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा स्टाम्प शुल्क का संदाय सुनिश्चित किया जाना.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि राज्य सरकार का कोई विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था, अर्द्ध शासकीय संगठन, बैंककारी या गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा सारवान् रूप से वित्त पोषित निकाय या उनका कोई भी वर्ग, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी प्रणाली में से होकर जाने वाली या उनके कार्यकरण से संबंधित ऐसी लिखतें, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है और जिन्हें उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के संबंध में राज्य सरकार को उचित स्टाम्प शुल्क इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (ई-ग्रास) के माध्यम से संदत्त कर दिया गया है।

(2) महानिरीक्षक, स्टाम्प, उप-धारा (1) में यथा-उल्लिखित ऐसे विभाग या निकाय इत्यादि द्वारा नामनिर्दिष्ट

किसी व्यक्ति को चालान विरूपित करने और ऐसी लिखतों पर पृष्ठांकन करने के लिए समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत समुचित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह चालान विरूपित करने के पश्चात् लिखतों पर निम्नलिखित रूप में पृष्ठांकन करेः- रसीद/चालान सं. ...../जीआरएन सं. ..... सीआईएन..... दिनांक..... द्वारा नकद/मांगदेय ड्राफ्ट/पे आर्डर/ई-चालान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क रु. ..... संदत्त किया गया।

कार्यालय की मुहर अधिकारी के हस्ताक्षर।

*जो लागू न हो उसे काट दें।"।

6. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.**- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) विद्यमान अनुच्छेद 20-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20 –क. धारा 2 (X-क) द्वारा परियोजना की कुल लागत यथापरिभाषित **रियायत करार**। का 0.2 प्रतिशत ।";

(ii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 232, 233 या 234

या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 43 में,-

(क) खण्ड (1) के विद्यमान उप-खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(ग)	जहां ऐसा शेयर अंशदान केवल स्थावर सम्पत्ति के रूप में किया गया है;	भागीदारी में उस भागीदार के, जो वह सम्पत्ति लेकर आया था, शेयर के बराबर सम्पत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है ।
(घ)	जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर सम्पत्ति और नकद दोनों के रूप में किया गया है ।	नकद के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (क) और (ख) के अनुसार और स्थावर सम्पत्ति के रूप में शेयर अंशदान के भाग पर उप-खण्ड (ग) के अनुसार।";

(ख) विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) भागीदारी का विघटन,-

(क)	जहां स्थावर सम्पत्ति किसी भागीदार द्वारा भागीदारी के गठन के समय उसके शेयर	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

	अंशदान के रूप में लायी गयी हो और विघटन पर ऐसी सम्पत्ति किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली गयी हो;	
(ख)	जहां स्थावर सम्पत्ति भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित की गयी हो और विघटन पर ऐसी सम्पत्ति भागीदारों के मध्य वितरित की गयी हो।	भागीदारी में उस भागीदार के, जो विघटन पर वह सम्पत्ति लेता है, शेयर के बराबर संपति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(3) भागीदार का निवर्तन,-

(क)	जहां भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर सम्पत्ति है और निवृत् होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं लेता है;	वही शुल्क जो भागीदारी में निवृत् होने वाले भागीदार या भागीदारों के शेयर के बराबर भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति के भाग के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।
(ख)	जहां भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर सम्पति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है,	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं.21) पर लगता है।

	जो उसके द्वारा भागीदारी के गठन के समय, उसके अंशदान के शेयर के रूप में नहीं लायी गयी थी;	
(ग)	जहा भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर सम्पत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है जिसे भागीदारी द्वारा उसके गठन के पश्चात् अर्जित किया गया था;	भागीदारी में निवृत्त होने वाले भागीदार के शेयर के बराबर सम्पत्ति के भाग को अपवर्जित करते हुए, वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (स. 21) पर लगता है।
(घ)	जहां भागीदारी के स्वामित्व में स्थावर सम्पत्ति है और निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवर्तन के समय वह स्थावर सम्पत्ति लेता है, जो उसके द्वारा भागीदारी के गठन के समय उसके अंशदान के शेयर के रूप में लायी गयी थी;	पांच सौ रुपये।
(ड.)	जहां ऐसे भागीदार के निवर्तन के समय भागीदारी के स्वामित्व में कोई स्थावर सम्पत्ति नहीं है।	पांच सौ रुपये।
(4)	किसी अन्य मामले में।	पांच सौ रुपये।''; और

(iv) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''पूर्वमृत भाई का पुत्र'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''या पिता

या माता'' के पूर्व, अभिव्यक्ति ''या माता का भाई या बहिन का पुत्र या बहिन की पुत्री'' अन्तः स्थापति की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

7. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं.11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''और वाणिज्यिक कर विभाग का कोई भी अधिकारी जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियंत्रित जांच चौकी पर पदस्थापित इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जो सब-इन्सपेक्टर से नीचे के पद का न हो'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति '',इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो'' अन्तः स्थापित की जायेगी।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, March 20, 2018

No. F. 2 (13) Vidhi/2/2018 .- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2018 (2018 Ka Adhiniyam Sankhyank 7) :-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2018
(Act No. 7 of 2018)

[Received the assent of the Governor on the 19th day of March, 2018]

An
Act

Further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2018-19 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty –ninth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2018.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 4 and 6 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999 .- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1988 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (viii-A), the following shall be substituted, namely :-

"(Viii-a) " Chief Controlling Revenue Authority" means an officer or authority specified as such by the State Government by notification in the Officaila Gazette;";

(ii) for the existing clause (x-a), the following shall be substituted, namely :-

"(x-a) " Concession agreement" means an agreement involving grant of any right by the Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity in respect of any of its land or property situated in the State, to provide some service on commercial basis using such land or property;";

(iii) for the existing sub-clause (iv) of clause (xi), the following shall be substituted, namely :-

"(iv) every order made under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949),"; and

(iv) the existing sub-clause (c) of clause (xxi) shall be deleted.

4. Amendment of Section 4-a, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing Section 4-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

" 4-A. Rounding off of fractions in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made.- in determining the amount of duty, surcharge or fee payable, or of the allowances to be made, under this Act, any fraction of one rupee, equal to or exceeding fifty paise shall be rounded off to the next on rupee, and any fraction of less than fifty paise shall be disregarded."

5. Insertion of section 10-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 10 and before the existing section 11 of the principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"10-A. Certain departments, organizations, institutions etc., to ensure payment of stamp duty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any department of the State Government, institution of Local Self-Government, Semi-Government organization, banking

or non-banking financial institution or the body owned, controlled or substantially financed by the State Government or any class of them, shall ensure that the proper stamp duty is paid to the State Government through electronic Government Receipt Accounting System (e-GRAS) in respect of such instruments, as may be specified in the notification, passing through their system or related to their functioning of wihich registration is not compulsory.

(2) The Inspector Genrral of Stamps shall authorise a person nominate by such department or body, etc. as mentioned in sub-section (1) as a proper officer for defacing the challan and making the endorsement on such instruments.

(3) it shall be the duty of the proper officer so authorized under sub-section (2) to make an endorsement on the instruments after defacing the challan as follows:-

Stamp duty of Rs._____ paid in * Cash/by demand draft/by pay order/e-Challan Vide Receipt/Challan No._____/GRN No._____ CIN_____ dated the_____

Seal of the office signature of the Officer.

* Strike out whatever is not applicable.".

6. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the Principal Act,-

(i) for the existing Article 20-A, the following shall be substituted, namely :-

"20-A. Conession agreement as defined by section 2(x-A).		0.2 percent of the total Project cost.";

(ii) in clause (iii) of Article 21, for the existing expression "if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company", the expression " if relating to the order under sections 232, 233 or 234 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstructions of a company" shall be substituted;

(iii) in Article 43,-

(a) For the existing sub-clause (c) of clause (1), the following shall be substituted, namely :-

"(c)	Where such share contribution is brought in by way of only immovable property;	The same duty as on Conveyance (No.21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in partnership who brought that property.
(d)	Where such share contribution is brought in by way of both immovable property and cash.	As per sub-clauses (a) and (b) on the part of share contribution in the form of cash and as per sub-clause (c) on the part of share contribution in the form of immovable property.";

(b) for the existing clause (2), the following shall be substituted, namely :-

" (2) Dissolution of partnership ,-

(a)	where the immovable property is brought in by any partner as his share contribution at the time of constitution of the partnership and such property is taken by any other partner as his share on dissolution;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(b)	Where immovable property is acquired by the partnership after its constitution and such property is distributed among the partners on dissolution.	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the partner in partnership who takes that property on dissolution.

(3) Retirement of partner,-		
(a)	Where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes no immovable property at the time of his retirement;	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of the part of the immovable property of the partnership equal to the share of the retiring partner or partners in the partnership.
(b)	Where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was not brought in by him as his share of contribution at the time of constitution of the partnership;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property.
(c)	Where the partnership owns immovable property and the retiring partner takes the immovable property at the time of his retirement which was acquired by partnership after its constitution;	The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property excluding the part of the property equal to the share of the retiring partner in partnership.
(d)	Where the partnership owns immovable property and the retiring partners takes the immovable proerty at the time of his retirement which was brought in by him as	Five hundred rupees.

	his share of contribution at the time of constitution of the partnership;	
(e)	Where the partnership does not own any immovable property at the time of retirement of such partner.	Five hundred rupees.
(4)	in any other case.	Five hundred rupees."; and

(iv) in clause (a) of Article 48, after the existing expression "son of predeceased brother" and before the existing expression " or father or mother ", the expression" or mother's brother or sister's son or sister's daughter" shall be inserted.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTER VEHICLES TAXATION ACT, 1951

7. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1951 .- in Sub-section (1) of section 17 of the Rajasthan Moter Vehicles Taxation Act, 1951(Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "and any officer of the Commercial Taxes Department not below the rank of an Inspector posted at the cheek posts controlled by the Commercial Taxes Department", the expression "and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue Intelligence Officer" shall be substituted.

8. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 11 of 1951 .- In section 18 of the principal Act, after the existing expression "Sub-Inspector" and before the existing expression "May for the purposes", the expression "and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue intelligence Officer" shall be inserted.

मनोज कुमार व्यास,
Principal Secretary to the Government.

14
Government Central Press, Jaipur.